www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha
June 2023

ISSN : 2395-7115
Page No. : 68-72

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

भारत में अनुसूचित जनजातियों की स्थिति

निखिल कुमार

शोधार्थी (पीएचडी), राजनीति विज्ञान, पूर्णिया विश्वविद्यालय, पूर्णिया (बिहार) पिन न० 854203

जनजातियाँ वह मानव समुदाय हैं जो एक अलग निश्चित भू–भाग में निवास करती हैं और जिनकी एक अलग संस्कृति, अलग रीति–रिवाज, अलग भाषा होती है तथा ये केवल अपने ही समुदाय में विवाह करती हैं। सरल अर्थों में कहें तो जनजातियों का अपना एक अलग वंशज, पूर्वज तथा सामान्य से देवी–देवता होते हैं। ये अमूमन प्रकृति पूजक व प्रकृति को अपना देवता मानते हैं। भारतीय संविधान में जहाँ इन्हें 'अनुसूचित जनजाति' कहा गया है तो दूसरी ओर, इन्हें अन्य कई नामों से भी जाना जाता है मसलन– आदिवासी, आदिम–जाति, वनवासी, प्रागैतिहासिक, असभ्य जाति, असाक्षर, निरक्षर तथा कबीलाई समूह इत्यादि। हालाँकि भारतीय जनजातियों का मूल स्रोत कभी देश के संपूर्ण भू–भाग पर फैली प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड तथा मंगोल जैसी प्रजातियों कोमाना जाता था। इनका एक अन्य स्रोत ने ग्रिटो प्रजाति भी है जिसके वंशज अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह में अभी भी मौजूद हैं। गौरतलब है कि अनेकता में एकता ही भारतीय संस्कृति की पहचान है और इसी के मूल में निश्चित रूप से भारत के विभिन्न प्रदेशों में स्थित जनजातियाँ हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में रहते हुए अपनी संस्कृति के जरिये भारतीय संस्कृति को एक अनोखी पहचान देती हैं। वर्तमान में भी भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक जनजातियों के साथ–साथ संस्कृति का विविधीकरण देखने को मिलता है। भारत भर में जनजातियों की स्थिति का जायजा उनके भौगोलिक वितरण को समझकर आसानी से समझा जा सकता है।

जनजातियों का भौगोलिक वितरण :-

भौगोलिक आधार पर भारत की जनजातियों को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है जैसे–उत्तर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। उत्तर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत हिमालय के तराई क्षेत्र, उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र सम्मिलित किये जाते हैं। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड तथा पूर्वोत्तर के सभी राज्य इस क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों में बकरवाल, गुर्जर, थारू, बुक्सा, राजी, जौनसारी, शौका, भोटिया, गद्दी, किन्नौरी, गारो, खासी, जयंति या इत्यादि जनजातियाँ निवास करती हैं। अगर बात करें मध्य क्षेत्र की तो इसमें प्रायद्वीपीय भारत के पठारी तथा पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं। जहाँभील, गोंड, रेड्डी, संथाल, हो, मुंडा, कोरवा, उरांव, कोल, बंजारा, मीणा, कोली आदि जनजातियाँ निवास करती हैं। दक्षिणी क्षेत्र जहाँ टोडा, कोरमा, गोंड, भील, कडार, इरुला आदि जनजातियाँ बसी हुई हैं। द्वीपीय क्षेत्र में अमूमन अंडमान एवं निकोबार की जनजातियाँ आती हैं। हालिया चर्चा का विषय रहने के कारण यह जरूरी हो जाता है कि हम एक सरसरी नजर

सेंटिनलीज जनजाति पर डाले तो हमें यह जनजाति एक प्रतिबंधित उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर रहने वाली नेग्रिटो जनजाति है। 2011 के जनगणना आँकड़ों के अनुसार द्वीप पर इनकी संख्या 15 के आस–पास थी। एक तरफ अंडमान द्वीप में चार नेग्रिटो जनजातियों– ग्रेट अंडमानी, ओंगे/ओंज, जारवा तथा सेंटिन लीज निवास है तो वहीं दूसरी तरफ निकोबार में दो मंगो लॉइड जनजातियाँ मसलन–निकोबारी और शोम्पेन का नि है। सेंटिन लीज के साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अन्य जनजातियाँ– ग्रेट अंडमानी, जारवा तथा शोम्पेन भारत की विशेष रूप से अति संवेदनशील जनजातीय समूहों में शामिल हैं।" आज दु की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा भारत ने हासिल तो कर लिया है लेकिन अब भी एक तबका है जो हाशिये पर है। इस तबके के अंतर्गत वे जनजातियाँ आती हैं जो सुदूरवर्ती इलाकों में जीवनयापन रही हैं और कई समस्याओं का सामना कर अपने जीवन यापन करने पर विवश हैं।

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित-जनजातियों की समस्याएँ :-

जनजातियाँ ऐसे इलाकों में निवास करती हैं जहाँ तक बुनियादी सुविधाओं की पहुँच न के बराबर लिहाजा ये बहुत सारी समस्याओं को झेलकर अपने जीवन को जिने पर विवश हैं, जो कही न कही स्वतंत्र के लिए एक अभिशाप हैं जहाँ एक ओर सम्पूर्ण भारतवर्ष अपने आजादी का अमृत–महोत्सव मना रहा हैं। बात करें सामाजिक समस्याओं की तो ये आज भी सामाजिक संपर्क स्थापित करने में अपने–आपको महसूस नही कर पाती हैं। इस कारण ये सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक अलगाव, भूमि अलगाव, अस्पृश्यत भावना जैसे समस्याओं का महसूस करती हैं। इसी के साथ इनमें शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य तथा पोषण सुविधाओं से वंचन की स्थिति भी मिलती है। आज भी जनजातीय समुदायों का एक बहुत बड़ा वर्ग निरक्ष जिससे ये आम बोलचाल की भाषा को समझ नहीं पाती हैं। सरकार की कौन–कौन सी योजनाएँ इन तबक लिये हैं इसकी जानकारी तक इनको नहीं हो पाता है, जो इनके सामाजिक रूप से पिछड़ेपन का सबसे कारण है, ऐसे में इनका इस प्रकार का पिछड़ापन इनके भविष्य को संकट की ओर लेजाने को दर्शाता हैं। इनके आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की बात की जाए तो इसमें प्रमुख समस्या गरीबी तथा ऋण ग्रस्तता है।

आज भी जनजातियों के समुदाय का एक तबका ऐसा है जो दूसरों के घरों में काम कर जीवनयापन कर रहा है। माँ–बाप आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों को पढ़ा–लिखा नहीं पाते हैं तथा पैर लिये उन्हें बड़े–बड़े व्यवसायियों या दलालों को बेच देते हैं। लिहाजा बच्चे या तो समाज के घृणित से घृ कार्य को अपनाने हेतु विवश हो जाते हैं अन्यथा उन्हें मानव तस्करी का सामना करना पड़ता है। रही लड़कियों की तो उन्हें अमूमन वेश्यावृत्ति जैसे घिनौने दलदल में धकेल दिया जाता है। दरअसल जनजातियों पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण उनका आर्थिक रूप से पिछड़ापन ही है जो उन्हें उनकी बाकी सुविधाओं वंचित करता है। धार्मिक अलगाव भी जनजातियों की समस्याओं का एक बहुत बड़ा पहलू है। इन जनजाति के अपने अलग देवी–देवता होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है समाज में अन्य वर्गों द्वारा इनके प्रति छुआ का व्यवहार।

अगर हम थोड़ा पीछे जायें तो पाते हैं कि इन जनजातियों को अछूत तथा अनार्य मानकर समाज बेदखल कर दिया जाता था, सार्वजनिक मंदिरों में प्रवेश तथा पवित्र स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दि जाता था। आज भी इनकी स्थिति यही है, वही अगर इनकी राजनीतिक स्थिति की बात की जाय तो हमे मा

Scanned with OKEN Scanner

कहता है की भारतीय संविधान में इनके राजनीतिक रूप से काफी विकास मिला है और उचित भी हैं परन्तु अगर वस्तुस्थिति की बात की जाय तो सिर्फ ये कुछ लोगो तक ही सिमट कर रहने जैसा मालूम पड़ता हैं, क्योंकि जब हम वस्तुस्थिति की ओर अध्ययन करते हैं तो हमे पता चलता हैं कि इतनी सारी सुविधाओं के पश्चात भी कुछ लोगो तक ही सिमट गया हैं जो इनके राजनीतिक शिक्षा के अभाव को दर्शाता हैं।

यही सब पहलू हैं जिसके कारण जनजातियाँ आज भी बाहरी दुनिया से अपना संपर्क स्थापित नहीं कर पा रही हैं। इन्हीं सब समस्याओं का हल ढूंढने के लिये सरकार द्वारा अपनाए गए कुछ विकासात्मक पहलुओं पर चर्चा करना मुनासिब होगा।

जनजातियों के उत्थान के लिये सरकार द्वारा उठाए गए कदम :-

संविधान के पन्नों को देखें तो जहाँ एक तरफ अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है तो वहीं दूसरी तरफ, अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 समाज में किसी भी तरह की अस्पृश्यता का निषेध करता है तो नीति निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 46 के तहत राज्य को यह आदेश दिया गया है कि वह अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और उनके अर्थसंबंधी हितों की रक्षा करे। अनुसूचित जनजातियों के हितों की अधिक प्रभावी तरीके से रक्षा हो, इसके लिये 2003 में 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना भी की गई।

संविधान में जनजातियों के राजनीतिक हितों की भी रक्षा की गई है। उनकी संख्या के अनुपात में राज्यों की विधान सभाओं तथा पंचायतों में इनके जनसंख्या के आधार पर स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। संवैधानिक प्रावधानों से इतर भी कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें सरकार जनजातियों के हितों को अपने स्तर पर भी देखती है। इसमें शामिल हैं– सरकारी सहायता अनुदान, अनाज बैंकों की सुविधा, आर्थिक उन्नति हेतु प्रयास, सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व हेतु उचित शिक्षा व्यवस्था मसलन–छात्रावासों का निर्माण और छात्रवृत्ति की उपलब्धता तथा सांस्कृतिक सुरक्षा मुहैया कराना तथा एकलव्य जैसे कई प्रकार के योजनाओं को सरकार के माध्यम से जन जन तक पहुँचाना जिसे अन्य समुदाय के अनुसार इनका भी समुचित रूप से विकास हो सके इत्यादि। इसी के साथ केंद्र तथा राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु अलग–अलग विभागों की स्थापना की गई है। जनजातीय सलाहकार परिषद इसका एक अच्छा उदाहरण है।

इन्हीं पहलों का परिणाम है कि जनजातियों की साक्षरता दर जो 1961 में लगभग 10.3 प्रतिशत थी वह 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 66.1 प्रतिशत तक बढ़ गई। सरकारी नौकरी प्राप्त करने की सुविधा देने की दृष्टि से अनुसूचित जातियों के सदस्यों की आयु सीमा तथा उनके योग्यता मानदंड में भी विशेष छूट की व्यवस्था की गई है। हालिया सरकार ने भी जनजातियों के उत्थान की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं। मसलन अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना शुरू हुई है। इसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को मध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है। वहीं अनुसूचित जनजाति कन्या शिक्षा योजना निम्न साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिये लाभकारी सिद्ध होगी।

इन सराहनीय कदमों के बावजूद देशभर में जनजातीय विकास को और मजबूत करने की दरकार है।

Scanned with OKEN Scanner

यह सही है कि जनजातियों का एक खास तबका समाज की मुख्यधारा में आने से कतराता है, लेकिन इ
इनका समुचित विकास और संरक्षण भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

अनुसूचित-जनजातियों को आगे ले जाने की राह :-

हालाँकि सरकार अपने स्तर पर जनजातियों की स्थिति को सुधारने की दिशा में बेहतर प्रयास कर
है लेकिन शासन के कार्यों में और ज्यादा तब्दीली व पारदर्शिता की जरूरत है। योजनाओं का लाभ जनजा
तक नहीं पहुँच पाता जिनके कारण इनको इनका लाभ समुचित रूप से नही मिल पाता हैं ऐसे ही रुकाव
दूर करना इनका परम लक्ष्य होना चाहिए। साथ ही जनजातियों के प्रति मीडिया की उदासीनता को खत्म
की ओर भी पहल करनी चाहिए आज भी अधिकाश इस वर्ग के लोग मीडिया जनसंपर्क से दूर भागते है
अभी भी इनके बारे में समुचित रूप से मालूम नहीं है। अमूमन देखा गया है कि जब तक जनजातियों से
त कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता है अथवा कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता तब तक प्रायः मीडिया भी
नहीं होती है।

मीडिया को लोक तंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है तो यह जरूरी हो जाता है कि वह समाज
तबके के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन बखूबी करे। यहाँ पर राज्यसभा टी.वी. चैनल द्वारा चलाये गए
भारत' कार्यक्रम का जिक्र लाजिमी हो जाता है। जनजातीय जीवन चर्या पर आधारित इस कार्यक्रम ने कु
तक जरूर भारत के जनजातीय समुदाय की पहचान को मुखर करने का काम किया है। वहीं आर्थिक प
के स्तर पर इनसे जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिये आदिवासी परिवारों को कृषि हेतु पर्याप्त भूमि दन
स्थानांतरित खेती पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है। कृषि के अत्याधुनिक तरीकों से उन्हें अवगत क
भी एक विकल्प है। इसके अलावा शिक्षा संबंधी समस्याओं को दूर करने हेतु यह जरूरी है कि आदिवासि
लिये सामान्य शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। स्कूलों में उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए जि
कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें बेकारी की समस्या से न जूझना पड़े। कृषि, पशु–पालन, मुर्गी–पा
मत्स्य–पालन, मधुमक्खी–पालन एवं अन्य प्रकार की हस्तकलाओं का भी उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए।

स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने के लिये आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सालय, चिकित्सक
आधुनिक दवाइयों का प्रबंधन भी जरूरी है। उनके लिये पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाए ताकि इ
कुपोषण से होने वाली बीमारियों को समाप्त किया जा सके तथा इन समुदाय के लोग मानसिक रूप
साथ–साथ शारीरिक रूप से भी मजबूत व सशक्त हो सके। जनजातियों की सबसे प्रमुख समस्याओं में से
है– उनका सांस्कृतिक अलगाव। लिहाजा उनकी इस समस्या को हल करने के लिये ऐसे विश्वविद्यालयों
कॉलेजों की स्थापना पृथक रूप में की जाए जहाँ आदिम ललित कलाओं की शिक्षा का प्रसार एवं इनकी
की जा सके। जनजातियों के लिये किये जाने वाले मनोरंजनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम उन्हीं की भाषा
हों। इसमें उनकी भाषा संबंधी समस्या का भी समाधान निहित जिनके माध्यम से वे भली–भाँति समझ और प
सके।

रही बात समाज के सदस्यों की तो सभी आम नागरिकों का यह कर्तव्य होना चाहिये कि वे अपने हि
के साथ–साथ जनजातियों के हितों की भी रक्षा करें जिससे सम्पूर्ण मानव समाज का सम्पूर्ण रूप से विक
हो सके अन्यथा मानव समाज का सम्पूर्ण रूप से विकास कल्पना मात्र ही बनकर रह जाएगा। जब ऐसा हो

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

तभी हम अनुसूचित–जनजाति जैसे विशेष समूह के मनोविज्ञान को समझ सकेंगे और उनके जीवन में बेवजह हस्तक्षेप नहीं करेंगे ओर उनके विकास के लिए हम प्रयासरत रह पाएंगे। साथ ही जो जनजातीय समुदाय सम्पर्क में आने को इच्छुक हैं उनका स्वागत करने में भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह का भाव सभी लोगो के अंदर समाहित हो जाये तो इस समाज की नही बल्कि सम्पूर्ण मानव समाज का उत्थान होने से कोई नही रोक सकता।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स (गवर्मेन्ट ऑफ इंडिया–2020)
2. सेंसेक्स रिपोर्ट ऑफ इंडिया–2011
3. एंड एजुकेशनस् स्टेटस ऑफ ट्राइबल्स कम्यूनिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर्स।
4. मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमिकल स्टडीज– 2022
5. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्टडीज– 2022

Scanned with OKEN Scanner

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha
January 2024

ISSN : 2395
Page No.:

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

अनुसूचित-जनजाति के विकास की समस्याएँ और उनके समाधान में मीडिया की भूमिकाएँ

निखिल कुमार

शोधार्थी, राजनितिक विज्ञान, पूर्णिया विश्वविद्यालय, पूर्णिया (बिहार) पिन नं० 854301

भारतीय जनजातीय समाज परिवर्तन के नाजुक दौड़ से गुजर रहा है, जहां नए सामाजिक, आ राजनीतिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक बल उसके पुरातन सामाजिक जीवन को उद्‌भेतित कर रहे हैं। यह प्राचीन समय से ही जंगलों ऊंचे ऊंचे पहाड़ों दुर्गम स्थान में प्रकृति के साथ अपने जीवन का एक संतुलन हुए हैं। सभ्य समाज कहे जाने वाले लोग या आंखों को इन जनजाति के रीति रिवाज व उनके रहन-सहन कितने भी अटपटे, पिछरे हुए और असभ्य लगे, वे सामाजिक परिस्थितिकीय अनुकूलन का श्रेष्ठ प्रतीक क्योंकि यह समाज प्रकृति को ही अपना अनुपालन करके जीवन के अस्तित्व को बनाए हुए हैं। वास्तव में की अनुभूति या गरीबी और अमीरी का एहसास तो मानवीय चेतना का विषय होता है। यह समाज जंगलों में छोटे-छांटे तीर कमानो के साथ-साथ न्यूनतम वस्त्र तथा अन्य भौतिक उपकरणों व साधनों के माध्यम से सरल जीवन बिताने वाली यह जनजातीय आज के सभ्य कहे जाने वाले मानव समाज से अधिक कष्ट पूर्ण विता रही है। यह सोचना भी सभ्य मानव समाज के अहंकार का प्रतिफल मात्र है।

जनजातीय मानव समाज अपने धर्म और जादू के संस्कारों में, त्योहार और पर्वों में, संगीत और नृ एक शातिपूर्ण जीवन बिताता हुआ आ रहा है। यह समाज अपने भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति और पशु संप साथ स्वस्थ सामंजन आर्थिक, सांस्कृतिक बलों ने उसके इस शांतिपूर्ण पर्यावरण को एक ऐसी हलचल कोलाहल से भर दिया है, कि वह इन सबको समझने में असमर्थ सा महसूस कर रहा है। उसके जीवन संतुलन भंग हो गया है, और वह अनेक समस्याओं के चक्रव्यूह में फस गया है।

अनेक समाज-शास्त्रियों और मानव-शास्त्रियों ने जनजातीय मानव समाज के जीवन की समस्याओं वैज्ञानिक विश्लेषण क्या है और उनके समाधान खोजने का प्रयास भी किया है। टी०बी० नायक जैसे समाजशास्त्रियों ने जनजातीय समाज के समान अध्ययन में उनकी विभिन्न समस्याओं और समाधान पर रचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किए हैं। वही महान मानव-शास्त्री व समाजशास्त्री डी०एन० मजुमदार ने जनज समाज के समस्याओं तथा उनके समाधान हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना प्रस्तुत किए है। जो जनजातीय स

Scanned with OKEN Scanner

स्तु स्थिति को स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं। इससे पूर्व की हम जनजातियों के समस्याओं का स्पष्ट वर्णन और साथ ही साथ उनके समाधान को भी स्पष्ट रूप से इंगित करें, इससे पूर्व हमें इनके बारे में कुछ मान्य तथ्यों पर प्रकाश डालने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। प्रथम दृष्टिकोण में यह सारी समस्याएं विभिन्न जातियों में भिन्न--भिन्न प्रकार के हैं। और उनके यह आधार सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व शैक्षणिक के ो में भिन्नता एवं बाहरी समाज से संपर्कों की प्रकृति में भिन्नता है जनजातीय ने इन समस्याओं के प्रति न–भिन्न ढंग से प्रतिक्रियाएं की है। कुछ उत्साह से जूझ रही है तो कुछ हताश और निराशा है, और अंतिम से इन समस्याओं का निराकरण राष्ट्रीय एकीकरण व राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से तत्परता से किया जाना ः–आवश्यक है। अन्यथा अनुसूचित–जनजाति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शैक्षणिक स्थिति का एक षजनक कल्पना करना मिथ्या पूर्ण होगा। जिस प्रकार अनुसूचित–जातियों की समस्याएं हैं जो उसे समाज उसे उचित स्थान नहीं दिला पा रहा है ठीक उसी प्रकार अनुसूचित–जनजातीय समाजों में विविध प्रकार की स्या व्याप्त है जो उन्हें अपने शिकार में लिए हुए है। जिनके कारण आज तक जहां संपूर्ण भारतवर्ष आजादी अमृत महोत्सव के दौर से गुजर रहा है वहीं आज भी यह समाज अपने विकास की मुख्य–धारा से सैकड़ों पीछे चल रही है, जो इनके विकास में मुख्य बाधक के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। अगर उनके मस्याओं का वर्णन किया जाए तो हमें गिनती गिनते वर्षों लग जाएंगे लेकिन इनकी समस्याएं कभी खत्म नहीं ने वाली है। अतः हम इन सभी समस्याओं को क्रमबद्ध तरीके व्याख्या करते हैं जो इन समुदाय के समाजों में प्त है।

नुसूचित जनजाति के समस्याओं का वर्गीकरण :

शिक्षा की समस्या :– भारतीय परिपेक्ष में शिक्षा की दृष्टिकौन के आधार पर अनुसूचित–जनजातियों को गर देखा जाए, तो आजादी के 75 वर्ष पश्चात भी अनुसूचित–जनजाति के समुदाय के आधे से अधिक आबादी शिक्षित है, जो इनके विकास की गति में एक बहुत बड़ा बाधक के रूप में देखा जाता है। अनुसूचित नजातियाँ शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं। 2001 ई. की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को रिवल भारतीय साक्षरता दर 47.1 प्रतिशत है, जबकि साक्षरता का राष्ट्रीय औसत 64.8 प्रतिशत है। जनजातीय हिलाओं तथा सामान्य महिलाओं में साक्षरता के प्रतिशत में और अधिक अन्तर है। जनजातीय महिलाओं की साक्षरता का औसत केवल 34.8 प्रतिशत है, जबकि देश की सामान्य महिलाओं का साक्षरता का औसत–53.7 प्रतिशत है। क्योंकि शिक्षा के बिना किसी भी समाज व समुदाय का विकास की कल्पना करना मिथ्या पूर्ण होगा।

आजादी के पूर्व भी अनुसूचित–जनजाति को शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रखा जाता था क्योंकि समाज के कुछ विशेष वर्ग का यह मानना था कि जनजाति समाज के लिए शिक्षा उपयोगी नहीं है, परंतु जब भारतीय भूमि पर पश्चिमी शक्तियों अर्थात देश का आगमन हुआ तो समाज में एक नई प्रवर्तनीय प्रक्रियाओं का प्रारंभ हुआ, परंतु इससे भी जनजाति समाज के सामाजिक संरचना में कोई ठोस परिवर्तन नहीं हो पाया। क्योंकि आधुनिक शिक्षा मानसिक योग्यताओं के विकास से संबंधित थी। और यह शिक्षा सिर्फ लोगों को मानसिक कार्य करने हेतु

Scanned with OKEN Scanner

सिर्फ तैयार करती थी। इसी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए महान समाजशास्त्र डॉक्टर वृज राम ... की नई शिक्षा प्रणाली की तत्कालीन उपयोगिता की अनुमति निम्न वर्गों के द्वारा नहीं किया जा सका, ... शिक्षा द्वारा उन्हे अपने परंपरागत काम या अवसर उन्हें दिखाई नहीं दिए। इसलिए वर्तमान समय ... अनुसूचित–जनजातियों के शिक्षा के स्तर की बात की जाए तो ये समुदाय आज भी शिक्षा के मूलभूत सुवि... से वंचित रहा है।

शिक्षा के महत्व का अभाव :- आजादी के 72 वर्ष पश्चात भी अनुसूचित–जनजाति समाज में शिक्षा ... महत्व को लेकर को लेकर घोर अभाव है। आज भी इस समुदाय के अधिकांश आवादी यह समझ नहीं ... है, कि शिक्षा मानव जीवन के विकास का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, जिन्हें प्राप्त कर संसार के सभी ... से दुर्लभ समस्याओं को आसानी से समाधान किया जा सकता है। जनजाति की दूसरी समस्या अशि... जनजाति के लोग शिक्षा से काफी पिछड़े हुए है यह लोग अपने वच्चों को स्कूल भेजने की वजाय खेतों ... करवाना अधिक पसंद करते है। यही कारण है कि भारत सरकार के अनेक प्रयासों के वावजूद यह समाज ... भी अशिक्षित है। सन 2001 ई० में जनजातियों के लोग 47.1 प्रतिशत शिक्षित थे वर्ष–2011 की जनगणना ... अनुसार जनजातियों के लोग 59 प्रतिशत शिक्षित है यानि आज भी 41 प्रतिशत लोग अशिक्षित है। मैंने ... अध्ययन के क्रम में पाया कि ग्रामीण क्षेत्र की आवादी आज भी शिक्षा के महत्व को नहीं जान पाया है ... भोजन, रुपए, कपड़ा व मकान प्राप्त करना ही अपना मूलभूत दायित्व समझता है। जब तक समाज में शिक्षा ... महत्व को जन–जन तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक समाज का एक विशेष आवादी शिक्षा के मू... सुविधाओं से वंचित रह जाएगा।

शिक्षा एवं सामाजिक संरचना का अभाव :- यह सत्य है कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों ... शिक्षा ने उनके लिए व्यवसायियों के द्वारा खुले हैं और उनमें से कुछ नए सामाजिक वर्गों में प्रवेश भी पा... हैं। नौकरियों में स्थान के आरक्षण में भी दिशा में सहायता मिली है। राजनीति में भी अनुसूचित जनजाति... व्यक्तियों का प्रवेश मिला है। परंतु इन सवसे अनुसूचित–जनजाति समाज के संरचना में कोई बड़ा परिवर्तन ... देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसी एक अनुसूचित जनजाति के कुछ एक परिवार ही ऐसे गतिशील हु... तथा एक विशेष जनसंख्या अभी भी इन सुविधाओं से वंचित है क्योंकि यह शिक्षित लोग भी अपने समुदा... अपने आपको अलग समझने लगते हैं, तथा यह भूल जाते हैं कि एक समय में हम भी उसी श्रेणी में ... जिस श्रेणी में आज ये लोग देखने को मिल रहा है इस तरह का मानसिकता प्राप्त लोग के द्वारा ही ... अनुसूचित–जनजाति के एक विशेष वर्ग शिक्षा के मूलभूत सुविधाओं को पाने से वंचित रह जा रहे हैं।

बेरोजगारी की समस्याएँ :- जनजातियों की आजीविका के परंपरागत स्त्रोत सीमित होते है। ... इनमें वेरोजगारी की समस्या वनी रहती है। यह लोग शिक्षित वहुत ही कम वहुते है इसलिए इन लोगों को ... अच्छा काम भी नही मिल पाता है।

ऋणग्रस्तता की समस्याएँ :- जनजाति समाज में ऋणग्रस्तता की समस्या काफी गंभीर समस्या रही ...

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

...तियाँ अपनी उपभोग की सीमित आवश्यकताओं के साथ प्रकृति पर ही निर्भर रहते हुए सरल जीवन जीवन ...है, लेकिन बाहरी सामाज या सभ्य समाज के संपर्क मे आने से इन सामाजिक एवं संस्कृति परिस्थिति में ...व होने लगे है। अच्छे वस्त्र, सौंदर्य, खान–पान आदि के कारण भी इन्हें धन आवश्यकता महसूस होने लगी ...इसके अलाव इन लोगों की अल्प आय ज्यादातर बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि में खर्च हो जाता है। इन सब ...अब इन लोगों को आदत हो चुकी है, विवाह तथा किसी सार्वजनिक उत्सवों में भी यह लोग शराब का ...ता देते है। इन लोगों की जीवन भर की कमाए खाने–पाने में ही निकल जाती है और जनजातियों की ...ग्रस्तता की समस्या बनी रहती है।

नशे की लत :– जनजातियों में शराब, बीड़ी, तम्बाकू आदि का चलन बहुतायत पाया जाता है। इनका ...करना इनकी आदत है। जनजाति के लोगों में परंपरागत रूप से देशी शराब को प्रसाद के रूप में देवताओं ...अर्पित करने व प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करने की परंपरा है। आदिवासियों में पुरूष ही नही बल्कि महिलाएं शराब का सेवन करती है।

स्वास्थ्य की समस्याएँ :– यह एक आम धारणा है कि आदिवासियों अर्थात अनुसूचित–जनजाति का ...स्थ्य बहुत खराब रहता है। इनमें से बहुत लोग बहुत दिनों से घातक बीमारियों से पीड़ित है। इनमें स्वास्थ्य ...प्रति सही दृष्टिकोण नहीं है एवं चाहने पर भी बहुत अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएँ इन्हें मिल नहीं पाती हैं। इनकी ...वन प्रत्याशा अन्य भारतीयों से लगभग 20 वर्ष पीछे है।

खान–पान की समस्याएँ :– निर्धनता के कारण जनजाति के लोगों को सन्तुलित व पौष्टिक आहार नहीं ...ल पाता है। वे शराब आदि मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है।

छुआछूत व भेदभाव की समस्याएँ :– वर्तमान समय में भी समाज छुआछूत जैसे समस्याओं के दोर से ...जर रहा है जिनमे मुख्य रूप से अनुसूचित जनजातियों के छात्राओं के सम्मुख अछूत जैसे समस्याएं भी पैदा ...जाती है। जिनके कारण ऐसे छात्र–छात्राएं अपने आप में असहज महसूस करते हैं वैसे तो वर्तमान समय में ...स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। परंतु आजादी के 75 वर्ष के पश्चात भी आज तक यह छुआछूत जैसी ...वधारणाएं समाज से पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो पाया है जिनके कारण आए दिन समाज में ऐसे कई मामले सामने ...ाते रहते है। यह समस्याएं पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो पाया है क्योंकि हमने पाया कि शहरी क्षेत्र की तुलना में ...ामीण क्षेत्र में जातिय भेदभाव अभी तक विद्यमान है। समाज में अभी भी अधिकांश वर्ग अपने आप को नीची जाति ...से उच्च मानते हैं।

राजनीतिक उपेक्षाएं :– भारत में अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु कई प्रकार के संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। उन्ही प्रावधानों में से एक प्रावधान राजनीतिक है। जिनमें इन सामुदय को राजनीतिक स्तर पर अपने पक्ष को मजबूत करने हेतु उन्हें संविधानिक अधिकार प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद–330 तथा अनुच्छेद–332 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार इन समुदाय के लिए लोकसभा व राज्य–विधानसभाओं के सीटों को आरक्षित कि गया है। जिनके तहत

Scanned with OKEN Scanner

लोकसभा के 542 सीटों में से अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटे आरक्षित है, तथा अनुसूचित-जनजाति के लिए लोकसभा के 542 सीटों मे से अनुसूचित-जनजाति के लिए 47 सीटे आरक्षित है।

सरकार के द्वारा उपेक्षा :- अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए सरकार द्वारा ऐसी कई योजनाएं संचालित किया जा रहा है, जिससे इन समुदायों का संपूर्ण विकास हो सके, परंतु क्या यह योजनाएं जनजातीय समाज तक पहुंच पा रहा है। तो मालूम पड़ता है, कि जितनी भी योजनाएं जैसे जल-नल जन-धन योजनाएं, सुकन्या-समृद्धि योजनाएं तथा अन्य योजनाएं जो इन समुदाय के उत्थान के लिए जा रहे हैं, इन योजनाओं का नाम मात्र ही लाभ अनुसूचित-जनजाति समाज के लोगों तक पहुंच पा रहा और ना ही उन्हें इन योजनाओं के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी है।

अतः इन बातों से यह स्पष्ट होता है कि जिला प्रशासन के द्वारा सरकार द्वारा चलाए जा रही योजनाओं को इन समुदायों के बीच उन्हें पहुंचाने के लिए कोई जन-जागरण योजनाएं नहीं चला रही है, जिनके कारण ही इन समुदाय के लोगों के इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जा रहे हैं। जो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का दुरुपयोग हो रहा है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि ना तो सरकार और ना ही जिला प्रशासन अनुसूचित जनजाति के विकास के ले कोई ठोस पहल कर रहा है, जिससे समुदाय का संपूर्ण विकास हो सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुसूचित जनजाति समुदाय की कल्याण को बढ़ावा देने तथा अनुसूचित क्षेत्र के प्रबंधन के स्तर को बढ़ाना तथा राज्य के स्तर के समान करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। जब तक इन योजनाओं का लाभ निवास करें अनुसूचित-जनजातियों को नहीं दिया जाएगा तब तक इस समुदाय के विकास की कल्पना करना कभी सार्थक नहीं हो सकता है। इस तरह की अपेक्षा सरकार के द्वारा किए दोहरी मानसिकता को दर्शाता है।

स्थानीय प्रशासन द्वारा अपेक्षा :- अनुसूचित-जनजातियों के विकास हेतु कई प्रकार की योजनाओं का शुभारंभ सरकार द्वारा किया जा रहा है परंतु क्या इनको इन योजनाओं का संपूर्ण लाभ प्राप्त प्राप्त नहीं हो रहा है। सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु चलाए जा रहे योजनाओं के प्रति जिला प्रशासन व स्थानीय प्रशासन का रवैया भी संतोष जनक देखने को नहीं मिलता है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं जैसे जल-नल योजनाएं, जन-धन योजनाएं, सुकन्या समृद्धि योजनाएं तथा अन्य कई प्रकार की योजनाओं का समुचित लाभ इन समुदाय के लोगों तक नहीं पहुच पा रहा है। जो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाएं का जिला प्रशासन के द्वारा योजनाओं का जन-जन तक पहुंचने में उनकी उपेक्षा को दर्शाता है।

अनुसूचित जनजातियों के विकास की समस्याएं के समाधान हेतु सुझाव व मिडिया की भूमिका :- अनुसूचित जनजातीय पर होने वाले अत्याचारों को कारगर ढंग से रोकने के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा एक ठोस कारगर कदम उठानी चाहिए जिससे अनुसूचित जनजाति पर होने वाले अत्याचार को रोका जा सके। सरकार के द्वारा अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने

Scanned with OKEN Scanner

...गए अत्याचारों की रोकथाम अधिनियम 1989 जो 30 जनवरी 1990 से लागू है। उसे प्रभावी ढंग से ...ज्यों तथा संघ–शासित क्षेत्र पर स्पष्ट के साथ लागू किया जाना चाहिए तथा कानून के तहत राज्य ...रों को विशेष अदालत गठित करना चाहिए तथा अनुसूचित जनजातीय हेतु बनाई गई नीतियों को कारगर ...से लागू की जानी चाहिए। मीडिया लोकतंत्र के चोथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार विधायिका, ...पालिका, न्यायपालिका लोकतंत्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक उसी प्रकार मीडिया ...लोकतंत्र के विकास व उनके स्तंभ को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि आज ...या की माध्यम से संपूर्ण देश व दुनिया का खबर चंद मिनट में ही विश्व के पटल पर देखने को मिलता है।

आज मीडिया की पावर का अनुमान लगाना समुद्र में गोते लगाने के बराबर है क्योंकि आज छोटी से ...ी वह बड़ी से बड़ी बातों को मीडिया के माध्यम से विश्व की पटल पर दिखाने का काम कर रही है। जिनके ...न से ही समाज के सभी वर्गों का विकास जो की समाज के विकास की मुख्य धारा से जुड़ने में असफल ...रहे हैं तथा सरकार द्वारा चलाए जा रही योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वंचित रह जा रहे है, वैसे लोगों का ...न को दिखाकर मीडिया ऐसी दवे–कुचले हुए लोगों के उत्थान हेतु अपने आवाज को बुलंद करने में अपनी ...त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जैसाकि हम सभी जानते हैं कि विगत दिनों में मध्य प्रदेश राज्य में एक अनुसूचित ...नजाति के व्यक्तियों पर समाज के एक कुपोषित मानशिकता से ग्रसित व्यक्तियों के द्वारा उनके ऊपर ...लज्जनक व्यवहार क्या किया था जिनको लेकर भारतीय मीडिया ने ही उन व्यक्तियों का आवाज बना और ...हे न्याय दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इन्ही सभी बातों से स्पष्ट हो जा रहा है कि आज के ...मान समय में समाज व देश के विकास में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका अति आवश्यक है।

निष्कर्ष :– जनजातियों की समस्याओं पर विचार करते समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि विविधता में ...कता भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इसलिए मुख्य धारा से जनजातियों की संस्कृति यदि अलग है तो चिंता ...ा विषय नहीं है यह हमारी संस्कृति विरासत की समृद्धि का सूचक है। भारत में निवास कर रहे सभी जातियों ...ा लोग को जनजातियों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। भारतीय संविधान की दृष्टि से सभी नागरिक ...मान है। लेकिन बहुमत के अनेक लोग अपने आप को सदैव दूसरे जातियों से ऊंचा समझते हैं। ऐसे दृष्टिकोण ...ो बदलने की आवश्यकता है। जबकि जनजातीय लोगों की संस्कृति ना तो पिछड़े भी है और ना ही वह पिछरे ...ए हैं यह तो सिर्फ सामाजिक विषमताएं के कारण इनकी यह स्थिति है। जनजातीय समाज को शिक्षा के स्तर ...से जोड़ने हेतु सरकार को शिक्षा के कार्यक्रमों में भी जनजाति की प्रथाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप ढलना चाहिए। शिक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित क्या जाना चाहिए ताकि इन समुदायों के छात्रों को उनकी भाषा तथा संस्कृति के अनुसार उसे प्रौढ़ शिक्षा प्रदान किया जा सके। जिससे इन समुदाय के छात्रों के बीच शिक्षा प्राप्त करने की अभिलाषा की जागृति उत्पन्न हो सके। क्योंकि जबतक सभी समाजों का समान रूप से शैक्षणिक क्षेत्र में विकास नहीं हो पाएगा तब तक किसी भी समाज का समुचित विकास हो सकता है और न ही देश का विकास कदापि संभव हो सकता है। साथ ही सुरक्षात्मक भेदभाव या क्षतिपूर्ति पर आधारित भेदभाव की विद्यमान नीति

को आगामी अनेक दशकों तक बनाए रखना होगा। और जिस समूह की रक्षा करना इस नीति का उद्देश्य है, उनके पक्ष में ही इसे प्रभावशाली बनाने के लिए व्यावहारिक कदम भी उठाने होंगे। यह कार्य धीरे-धीरे चरणों में पारित किया जाना चाहिए ताकि समाज में उत्पन्न होने वाले भेदभाव व छुआछूत की समस्याओं का रूप से निदान हो सके क्योंकि इस तरह की मानसिकता को खत्म किए बिना किसी भी समाज का सम्पूर्ण विकास करना कदापि संभव नहीं है। अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ अनुसूचित-जनजाति के निम्न स्तर तक के लोगों को लाभ पहुंच सके उनके लिए सरकार को एक कानून जिला व ग्राम स्तर पर लागू करनी चाहिए। ताकि सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का सम्पूर्ण लाभ आम जन-मानस तक पहुंच सके। क्योंकि जब-तक सरकार के इन योजनाएं आम जन-मानस तक नहीं पहुंच पाएगा तब तक किसी भी समाज का विकास कदापि संभव नहीं हो सकता है। इसलिए सरकार को योजनाओं को जनजाति तक पहुंचाने हेतु जिला प्रशासन व नगर-निकाय, नगर-पंचायत ग्राम सभा जनप्रतिनिधियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने का कोई कठोर कानून बनानी चाहिए। जब-तक इन बिंदुओं को स्पष्ट रूप से समाज में लागू नहीं किया जाएगा तब तक समाज का उत्थान होना कदापि संभव नहीं है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डी0 एन0 मजूमदार एवं टीएन मदन-सामाजिक परिचय।
2. वी0 के0 नागला-भारतीय समाजशास्त्रीय चिंतन।
3. राजीव बंसल-जनजातियों का समाजशास्त्र, एस0 पी0 डी0 पब्लिकेशन।
4. राम आहूजा तथा मुकेशआहुजा-समाजशास्त्र का विवेचन एवं परिपेक्ष।
5. जी0 एस0 लुण्डबर्ग-सामाजिक सर्वेक्षण साहित्य भवन राजेश्वर ऑफसेट प्रिंटर्स मोहम्मद असलम आगरा।
6. प्रतियोगिता दर्पण-हिंदी वार्षिक पत्रिका -2022
7. पी0 वी0 यंग-साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च एशिया, पब्लिकेशन हाउस।

Scanned with OKEN Scanner